# X संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अनुसंधान और सांख्यिकी

*वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपनी संचार नीति 3.0 लागू की, जिसमें सूचना की सुगमता, सटीकता और पहुँच पर विशेष ध्यान दिया गया। रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ अपने आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत करना जारी रखा। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के सुचारू प्रबंधन पर ज़ोर देने के साथ-साथ सरकार की नकदी प्रबंधन प्रणाली में अधिक दक्षता लाने की दिशा में प्रयास भी किए गए। नीतिगत इनपुट को मजबूत करने के लिए आर्थिक नीति विश्लेषण और अनुसंधान, तथा सूचना प्रबंधन प्रणालियों को और परिष्कृत किया गया ।*

X.1 वर्ष 2025-26 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने लक्षित वित्तीय साक्षरता और ग्राहक संरक्षण अभियानों के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाई। भारत ने वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की जिसका विषय 'आघात सहनीयता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' था। भारतीय रिज़र्व बैंक वित्त ट्रैक के केंद्रीय बैंक कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत गतिविधियों का संचालन कर रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'भुगतान विज़न 2025' के तत्वावधान में निरंतर चेक समाशोधन के माध्यम से सरकारी भुगतान प्रणाली की दक्षता में वृद्धि जारी रखी। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि के प्रबंधन के लिए विवेकपूर्ण उपाय किए गए। नीति निर्माण के लिए विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करने हेतु समकालीन मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शोध अध्ययन किए गए। भारतीय रिज़र्व बैंक की सूचना प्रबंधन प्रणाली ने केंद्रीय सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) को सुव्यवस्थित करने और बैंकिंग अवसंरचना के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया ।

X.2 इस पृष्ठभूमि में, अध्याय के शेष भाग को आठ खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 बैंक की संचार नीति और प्रक्रियाओं के संबंध में प्रमुख पहलों को प्रस्तुत करता है। खंड 3 में बैंक के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा की गई है जिसमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ बातचीत शामिल है। खंड 4 में सरकारों और बैंकों के बैंकर के रूप में बैंक की गतिविधियों का विवरण दिया गया है। खंड 5 में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन के संचालन का विश्लेषण किया गया है। खंड 6 में आर्थिक अनुसंधान, सांविधिक रिपोर्टों और फ्रंटलाइन अनुसंधान प्रकाशनों पर आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित है। खंड 7 में सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) की गतिविधियों की रूपरेखा दी गई है, जबकि खंड 8 में विधि विभाग की गतिविधियों को प्रस्तुत किया गया है। अंतिम खंड में समापन टिप्पणियाँ दी गई हैं।

## 2. संचार प्रक्रियाएँ

X.3 वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने अपने संचार विभाग (डीओसी) के माध्यम से विभिन्न नीतिगत उपायों की प्रभावशीलता को और मजबूत करने की दिशा में स्पष्ट और समयबद्ध संचार को सुगम बनाने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया। विभाग ने 'संचार नीति 3.0' को लागू किया, जिसमें सूचना की त्वरितता, सटीकता और सुगमता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ अपनी मौजूदा बहु-चैनल रणनीति का विस्तार भी किया।

### वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

X.4 विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- आरबीआई सुनता है - सोशल मीडिया लिसनिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत (पैराग्राफ X.5);
- पॉडकास्ट सुविधा से युक्त मीडिया रूम (पैराग्राफ X.6);
- जन जागरूकता अभियानों (पीएसी) का प्रभाव मूल्यांकन [पैराग्राफ X.7]; और
- जागरूकता अभियानों के लिए विनियमित संस्थाओं (आरई) के साथ अधिक सहयोग (पैराग्राफ X.8)।

### *कार्यान्वयन की स्थिति*

X.5 उन्नत तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हुए, बैंक ने सोशल मीडिया पर अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ाया है, पर्यवेक्षण संबंधी संकेतों के लिए सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्लिकेशन की गहन निगरानी की है, और जनहित में ऐसी गलत सूचनाओं का शीघ्र पता लगाने के लिए कदम उठाए हैं जिनमें तथ्यों की जांच आवश्यक है।

X.6 विभिन्न आंतरिक रिकॉर्डिंग और पॉडकास्ट निर्माण को सक्षम बनाने के लिए एक मीडिया कक्ष बनाया गया है। अपनी संचार रणनीति को आगे बढ़ाते हुए, रिज़र्व बैंक ने 1 जनवरी 2026 को अपनी आधिकारिक पॉडकास्ट श्रृंखला 'रिज़र्व बैंक टॉक्स: फ्रॉम पैसा टू पॉलिसी' शुरू की, जिसका उद्देश्य जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाना और मौद्रिक व विनियामक नीतियों के बारे में जनता की समझ को बढ़ाना है। इस श्रृंखला की शुरुआत 'अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया को सरल भाषा में समझना' शीर्षक वाले एपिसोड से हुई और यह रिज़र्व बैंक के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर उपलब्ध है।

X.7 360-डिग्री जन जागरूकता प्रयासों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, जन जागरूकता अभियानों का प्रभाव मूल्यांकन किया जा रहा है। ये मूल्यांकन मीडिया मिक्स को बेहतर बनाने, रचनात्मकता को मजबूत करने और क्षेत्रीय भाषा की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने तथा लक्षित दर्शकों के बीच व्यावहारिक परिणामों को मापने में सहायक होते हैं।

X.8 विभाग ने विशेष रूप से वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, वित्तीय और बैंकिंग लेनदेन की सुरक्षा और संरक्षण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए उनके द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न संचार रणनीतियों और उपकरणों को बेहतर ढंग से समझने के लिए कई आरई के साथ बातचीत की।

### प्रमुख गतिविधियां

X.9 'आरबीआई कहता है... जानकार बनिए, सतर्क रहिए' के व्यापक संदेश के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक विस्तृत, बहुभाषी पीएसी चलाता है ताकि जनता को प्रमुख विनियामक संदेशों से परिचित कराया जा सके और वित्तीय जागरूकता बढ़ाई जा सके। वित्तीय सेवाओं के अधिक डिजिटल होने के साथ, ये अभियान प्रतिरूपण घोटालों, धोखाधड़ी वाले डिजिटल लिंक, क्यूआर-कोड जाल और अन्य उभरते जोखिमों के प्रति जनता को सचेत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

X.10 वर्ष 2025-26 के दौरान, विभाग ने हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके अनुकूलित संचार प्रसारित किया (सारणी X.1)।

X.11 अपनी आवश्यकताओं के बारे में जनता की समझ को बेहतर बनाने, ग्राहकों की उनकी धनराशि तक पहुंच और उस पर दावा करने में सुविधा प्रदान करने लिए व्यापक और केंद्रित प्रयासों के साथ रि-केवाईसी और दावा न की गई जमाराशियों पर अभियान चलाए गए। बैंक ने उच्च प्रभाव वाले कार्यक्रमों/आयोजनों के माध्यम से जागरूकता संदेश भी जारी किए।

X.12 विभाग की नई पहलों के तहत, बैंक के पीएसी को व्हाट्सएप के माध्यम से भी जारी किया गया। इसके अलावा,

**सारणी X.1: आवश्यकता आधारित अभियान (2025-26)**

| अभियान विषय | अवधि |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. दूरदर्शन पर 365 दिनों का अभियान | अप्रैल 2025 - मार्च 2026 |
| 2. अखिल भारतीय रेडियो पर 365 दिनों का अभियान | अप्रैल 2025 - मार्च 2026 |
| 3. वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 | अप्रैल 2025<br>नवंबर 2025 (पुनः प्रसारण) |
| 4. निष्क्रिय खाता | अप्रैल-मई 2025<br>जनवरी 2026 (पुनः प्रसारण) |
| 5. खुदरा प्रत्यक्ष योजना ऐप | जून 2025 |
| 6. प्रथम सहायता शिकायत - आरबी - आईओएस | जून 2025 |
| 7. नामांकन सुविधा | जून - जुलाई 2025<br>नवंबर 2025 (पुनः प्रसारण) |
| 8. बाल जागरूकता अभियान | अगस्त 2025 |
| 9. रि-केवाईसी | अगस्त - सितंबर 2025 |
| 10. सचेत पोर्टल | अगस्त - सितंबर 2025<br>दिसंबर 2025 (पुनः प्रसारण)<br>मार्च 2026 (पुनः प्रसारण) |
| 11. मनी ऐप | सितंबर 2025<br>फरवरी 2026 (पुनः प्रसारण) |
| 12. विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म | सितंबर 2025<br>दिसंबर 2025 (पुनः प्रसारण) |
| 13. निरंतर चेक समाशोधन | अक्तूबर 2025 |
| 14. अदावाकृत जमाराशि | अक्तूबर 2025 (चरण - I)<br>नवंबर 2025 (चरण - II) |
| 15. सिक्कों से संबंधित गलत सूचना | नवंबर 2025 |
| 16. डिजिटल अरेस्ट | नवंबर 2025<br>मार्च 2026<br>(व्हाट्सएप अभियान) |
| 17. रि-केवाईसी, सीकेवाईसीआर और वीकेवाईसी | दिसंबर 2025 -<br>जनवरी 2026<br>मार्च 2026 (सीकेवाईसीआर) |
| 18. बस स्टॉप पर होर्डिंग (आरबीआई भवनों के सामने) | जनवरी - मार्च 2026 |
| 19. वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 | फरवरी 2026 |
| 20. उद्गम पोर्टल | फरवरी - मार्च 2026 |
| 21. डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2026 | मार्च 2026 |
| 22. केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा | मार्च 2026 |
| 23. आरबी-आईओएस (व्हाट्सएप अभियान) | मार्च 2026 |
| 24. डिजिटल अरेस्ट (व्हाट्सएप अभियान) | मार्च 2026 |

आरबी - आईओएस: रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना ।
केवाईसी: अपने ग्राहक को जानिए ।
मनी: मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ।
सीकेवाईसीआर: केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री ।
यूडीजीएएम: दावा न की गई जमाराशियां - सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार ।
वीकेवाईसी: वीडियो के माध्यम से अपने ग्राहक को जानें ।
**स्रोत:** आरबीआई ।

*'आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो, कूल रहो'* टैगलाइन के साथ सरलीकृत जन जागरूकता संदेश जन जागरूकता निर्माण करने के लिए जारी किए गए।

***अन्य पहल***

*सोशल मीडिया निगरानी*

X.13 बैंक सूचना और जन जागरूकता के लिए कई सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करता है। इसके एक्स (पूर्व में ट्विटर) खाते ('रिज़र्व बैंक' और 'आरबीआई कहता है') आधिकारिक घोषणाएँ और जागरूकता सामग्री साझा करते हैं, जबकि यूट्यूब पर भाषण, कार्यक्रम और साक्षात्कार प्रसारित होते हैं। बैंक लिंक्डइन और फेसबुक (आरबीआई कहता है) पर भी मौजूद है और क्षेत्रीय भाषाओं में अधिकाधिक दर्शकों तक पहुँचने के लिए सार्वजनिक ऐप का उपयोग करता है।

X.14 सोशल मीडिया पारदर्शी और वास्तविक समय संचार का केंद्र बन गया है। बैंक एक विक्रेता मंच के माध्यम से ऑनलाइन गतिविधि की निगरानी करता है और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की तथ्य जाँच इकाई के साथ समन्वय करता है।

*मौद्रिक नीति के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस*

X.15 वर्ष 2025-26 के दौरान द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषणाओं की तारीखों पर छह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गईं, जहां गवर्नर और उप गवर्नरों ने मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत की।

*मीडिया संपर्क और कार्यशालाएँ*

X.16 बैंक ने वर्ष 2025-26 के दौरान मुंबई और दिल्ली में स्थापित एक अनौपचारिक चैथम हाउस में छह मीडिया वार्ताएं आयोजित कीं। क्षेत्रीय मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, केंद्रीय बैंकिंग कार्यों के कुछ पहलुओं के संबंध में क्षेत्रीय मीडिया को जानकारी प्रदान करने के लिए समय-समय पर कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। वर्ष 2025-26

के दौरान ऐसी चार कार्यशालाएं विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, नागपुर और जयपुर में आयोजित की गईं।

**वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची**

X.17 वर्ष 2026-27 के दौरान, रिज़र्व बैंक के संचार माध्यमों को और अधिक मजबूत किया जाएगा, और निम्नलिखित प्रयास किए जाएंगे:

- सोशल मीडिया पर सहभागिता बढ़ाना; और
- क्षेत्रीय मीडिया तक पहुंच बढ़ाना

**3. अंतरराष्ट्रीय संबंध**

X.18 वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने अपने अंतरराष्ट्रीय विभाग (आईडी) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय समुदाय के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना जारी रखा और विश्व भर के अंतरराष्ट्रीय संगठनों और केंद्रीय बैंकों के साथ सहयोग को गहरा किया। विभाग ने बैंक के दृष्टिकोण पर सुझाव दिए और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), जी20, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), ब्रिक्स और सार्कफाइनेंस[1] सहित प्रमुख वैश्विक मंचों पर विचार-विमर्श में योगदान दिया।

X.19 बैंक वर्ष 2026 में ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता के दौरान केंद्रीय बैंक की प्राथमिकताओं और प्राप्त होने योग्य लक्ष्यों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है।

**वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची**

X.20 विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए :

- ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित मुद्रा व्यवस्था (सीआरए) संधि में संशोधन को अंतिम रूप देकर और सीआरए में नए ब्रिक्स सदस्यों को शामिल करने पर चर्चा को सुविधाजनक बनाकर ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के साथ जुड़ाव गहरा बनाना (पैराग्राफ X.21);
- सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क 2024-27 के फ्रेमवर्क के तहत स्वैप समर्थन के लिए परिचालन तत्परता बनाए रखना (पैराग्राफ X.22);
- क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से सार्क फाइनेंस और अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ सहयोग को मजबूत करना (पैराग्राफ X.23); और
- अन्य केंद्रीय बैंकों, विशेष रूप से *बैंके डी फ्रांस* और यूरोपीय केंद्रीय बैंक के साथ बातचीत के तहत समझौता ज्ञापनों (एमओयू) को अंतिम रूप देना (पैराग्राफ X.24)।

***कार्यान्वयन की स्थिति***

X.21 कार्यदल द्वारा ब्रिक्स सीआरए संधि में संशोधनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और राष्ट्रीय प्राधिकारियों की मंजूरी के बाद, इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। बैंक ने नए ब्रिक्स सदस्यों को सीआरए में शामिल करने की प्रक्रिया पर चर्चा शुरू की।

X.22 बैंक ने वर्ष 2025-26 के दौरान सार्क देश 2024-27 के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था के ढांचे के तहत मालदीव और भूटान को सहायता प्रदान की।

X.23 बैंक ने बैंकिंग विनियमन, पर्यवेक्षण, हरित वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन, डेटा भण्डारण, मौद्रिक नीति और राजकोषीय संचालन के क्षेत्रों में सार्क फाइनेंस छात्रवृत्ति, क्षेत्रीय दौरों और तकनीकी सहायता के माध्यम से केंद्रीय बैंकों के लिए क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान की।

[1] सार्क फाइनेंस सार्क देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों और वित्त सचिवों का एक नेटवर्क है।

*X.24 बैंके डी फ्रांस* और यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) के साथ समझौता ज्ञापनों पर क्रमशः 9 मार्च 2026 और 10 मई 2026 को हस्ताक्षर किए गए। बैंक ऑफ जापान के साथ अनुबंध की शर्तों को एक वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया।

***अन्य पहल***

*बीआईएस गतिविधियाँ*

X.25 विभाग ने बीआईएस की विभिन्न बैठकों, जैसे गवर्नरों की द्विमासिक बैठकें, वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति (सीजीएफएस) और बीआईएस की वार्षिक साधारण बैठकों के लिए विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान की।

*ब्रिक्स*

X.26 वर्ष 2025 में ब्रिक्स फाइनेंस ट्रैक के अंतर्गत हुई चर्चाओं में, *अन्य बातों के अलावा*, ब्रिक्स पर बदलते वैश्विक दृष्टिकोण के प्रभाव, ब्रिक्स सीआरए में संशोधन, जलवायु जोखिम ढांचे और दबाव परीक्षण पद्धतियों तथा सीमा पार भुगतान संयोजकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों और फ्रेमवर्क के साथ-साथ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं के लिए साइबर जोखिम आकलन के अनुभवों का भी पता लगाया गया। भारत ने 1 जनवरी 2026 से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। बैंक ने 26 फरवरी, 2026 को वर्चुअल रूप से आयोजित ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता की। केंद्रीय बैंक के कार्यप्रवाह के अंतर्गत कार्यदल की बैठकों का पहला दौर भी मार्च 2026 में संपन्न हुआ।

*सार्कफाइनेंस*

X.27 बैंक ने वर्ष के दौरान केंद्रीय बैंकिंग कार्यों जैसे बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण, डेटा वेयरहाउसिंग और ख़जाना परिचालन पर तकनीकी सहायता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से सार्क क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, क्षमता निर्माण और संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करने को बढ़ावा देना जारी रखा।

*वैश्विक वित्तीय विनियमन पर एफएसबी की पहल*

X.28 विभाग ने विभिन्न एफएसबी स्थायी समितियों में सक्रिय रूप से चर्चाओं में भाग लिया, जिसमें वित्तीय स्थिरता के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) की समुत्थानशीलता, क्रिप्टो-आस्तियां और उभरती वित्तीय प्रौद्योगिकियां, सीमा पार भुगतान, रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क में सुधार और जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों जैसे प्रमुख मुद्दों पर बैंक के दृष्टिकोण साझा किए गए। विभाग ने एफएसबी की प्रमुख रिपोर्टों और एफएसबी द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों में भी योगदान दिया। इसके अलावा, विभाग ने '13वें भारत-ब्रिटेन आर्थिक और वित्तीय संवाद (ईएफडी)', 'भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए)' और 'भारत-ब्रिटेन विजन 2035' के लिए इनपुट प्रदान करने में सक्रिय रूप से भाग लिया।

*एसईएसीईएन*

X.29 दक्षिण-पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिसमें 19 केंद्रीय बैंक/मौद्रिक प्राधिकरण शामिल हैं, एशिया का प्रमुख क्षमता निर्माण केंद्र बना हुआ है। विभाग ने एसईएसीईएन के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया और 26 सितंबर 2025 को सियोल, कोरिया में आयोजित एसईएसीईएन कार्यकारी समिति (ईएक्ससीओ) की 24वीं बैठक, 29 अक्टूबर 2025 को बाली, इंडोनेशिया में आयोजित एसईएसीईएन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की 45वीं बैठक और 6 फरवरी 2026 को कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित विशेष ईएक्ससीओ बैठक में भाग लिया, जिसमें वर्ष 2026 के लिए एसईएसीईएन केंद्र के विभिन्न नीतिगत मामलों और गतिविधियों पर विचार-विमर्श किया गया।

X.30 विभाग ने विभिन्न विदेशी केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों/मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के लिए एक्सपोजर/

अध्ययन यात्राओं की सुविधा प्रदान की और भारत सरकार के द्विपक्षीय समझौतों के लिए विस्तृत इनपुट भी प्रदान किए।

*जी20*

X.31 दक्षिण अफ्रीका ने 'एकजुटता, समानता और स्थिरता' इस सर्वव्यापी विषय पर दिसंबर 2024 में जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की। इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में, *अन्य बातों के अलावा*, समष्टि आर्थिक सहयोग बढ़ाना; वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल मजबूत करना; अस्थिर पूंजी प्रवाह से उत्पन्न जोखिमों का प्रबंधन करना; और वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को कम करना शामिल थे जिसमें एनबीएफआई, क्रिप्टोकरेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सीमा पार भुगतान पर विशेष ध्यान दिया गया था।

X.32 बैंक ने भारत सरकार (जीओआई) के वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के साथ समन्वय में वित्तीय क्षेत्र, समष्टि आर्थिक नीति ढांचा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना, वित्तीय समावेशन और सतत वित्त से संबंधित उपरोक्त प्राथमिकताओं पर काम किया। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता 22-23 नवंबर 2025 को आयोजित नेताओं के शिखर सम्मेलन के साथ समाप्त हुई, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 दिसंबर 2025 से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की।

*आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और ओईसीडी*

X.33 विभाग ने अप्रैल और अक्टूबर 2025 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की द्वि-वार्षिक निधि-बैंक बैठकों में बैंक की भागीदारी के लिए समर्थन प्रदान किया और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को आईएमएफ के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर सुझाव दिए। विभाग ने सितंबर 2025 में आयोजित आईएमएफ 2025 के अनुच्छेद IV परामर्शों को भी समर्थन दिया। आईएमएफ ने वर्ष 2025 में भारत के समष्टि आर्थिक विकास का सकारात्मक मूल्यांकन किया। आईएमएफ-विश्व बैंक का संयुक्त वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) 30 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत के वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन (एफएसए) के प्रकाशन के साथ समाप्त हुआ। इससे पहले, आईएमएफ द्वारा भारत का वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांकन (एफएसएसए) 28 फरवरी 2025 को प्रकाशित किया गया। विभाग ने ओईसीडी के कोड पर सलाहकार कार्य बल (एटीएफसी) की बैठकों में भी योगदान दिया, जिसमें भारत एक पर्यवेक्षी देश है।

*अन्य गतिविधियाँ*

X.34 विभाग ने मुंबई में बैंक और बैंक ऑफ जापान के बीच 7वें वरिष्ठ स्तरीय संवाद की मेजबानी की, जिससे केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान और सहयोग को मजबूती मिली। द्विपक्षीय पहलों को बढ़ावा देने और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक ने नवंबर 2025 में नेपाल राष्ट्र बैंक के साथ संयुक्त तकनीकी समन्वय समिति की 9वीं बैठक में भी भाग लिया।

**वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची**

X.35 इसके बाद, विभाग बैंक की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के लिए निम्नलिखित कार्यसूची प्रस्तावित करता है:

- वर्ष 2026 में ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स वित्त ट्रैक के केंद्रीय बैंक कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत गतिविधियों का संचालन करना; और
- वर्ष 2027-2030 के लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था के ढांचे से संबंधित कार्य शुरू करना।

**4. सरकारी और बैंक लेखा**

X.36 सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) बैंक के आंतरिक लेखों का लेखा-जोखा रखने और बैंक की लेखा नीतियों को तैयार करने के साथ बैंकों के बैंकर और सरकारों के बैंकर के रूप में बैंक के कार्यकलापों का प्रबंधन भी करता

है। डीजीबीए ने एसईएसीईएन केंद्र के समन्वय से 14-15 नवंबर 2025 के दौरान मुंबई में केंद्रीय बैंक लेखांकन प्रथाओं पर अपनी तरह का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में 20 से अधिक केंद्रीय बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय भुगतान बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित बहुपक्षीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2025-26 के दौरान सरकारी भुगतान प्रणालियों की दक्षता बढ़ाने के प्रयासों को जारी रखते हुए: (ए) चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) में निरंतर समाशोधन शुरू किया गया ('पेमेंट्स विजन 2025' के तत्वावधान में), और (बी) कई राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के बैंकिंग लेनदेनों को *ई-कुबेर* के साथ एकीकृत किया गया।

### वर्ष 2025-26 की कार्यसूची

X.37 विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया था:

- अधिसूचित राज्यों के लिए *ई-कुबेर* को एनपीसीआई, केंद्र और राज्य सरकार की प्रणालियों के साथ एकीकृत करके, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के *आधार* भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित *आधार* के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के भुगतानों का कार्यान्वयन, (पैराग्राफ X.38)।

### कार्यान्वयन की स्थिति

X.38 वर्ष के दौरान, 26 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने सीएसएस के तहत *आधार*-आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भुगतान शुरू कर दिए हैं। इस व्यवस्था के तहत, राज्य सरकारें *आधार*-आधारित भुगतान फाइलें प्रसंस्करण के लिए सीधे एनपीसीआई को भेजती हैं, जबकि रिज़र्व बैंक सकल निधि निपटान करता है।

### प्रमुख गतिविधियां

*एजेंसी कमीशन दरों में संशोधन*

X.39 बैंक सरकारी बैंकिंग कारोबार करने के लिए एजेंसी बैंकों (एबी) को कमीशन का भुगतान करता है। मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर, एजेंसी कमीशन दरें 1 अप्रैल 2025 से संशोधित की गई हैं। इसके साथ ही, यह निर्णय लिया गया है कि (ए) एजेंसी कमीशन दरों की समीक्षा हर तीन वर्ष में एक बार की जाएगी, और (बी) एबी द्वारा प्रबंधित सभी भुगतान लेनदेनों पर एजेंसी कमीशन का भुगतान किया जाएगा, सिवाय उन लेनदेनों के जो या तो पूर्व-वित्तपोषित हैं या जिनमें सरकार द्वारा एबी को कुछ मुआवजा दिया जाता है।

*सीटीएस में सतत समाशोधन और प्राप्ति पर निपटान की शुरुआत*

X.40 सीटीएस में सतत समाशोधन का पहला चरण 4 अक्टूबर 2025 से लागू किया गया, जिससे सरकारी चेकों के समाशोधन की अवधि 'टी+1' से घटकर 'उसी दिन' हो गई है।

*केंद्रीकृत आवक समाशोधन (सीआईसी) का कार्यान्वयन*

X.41 सीआईसी को 2 मार्च, 2026 से प्रभावी रूप से लागू किया गया है, जो आवक समाशोधन में रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त लिखतों के प्रसंस्करण में दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। इससे परिचालन जोखिम और मानव संसाधन की आवश्यकता भी कम होगी। सीआईसी के तहत, बैंकिंग विभाग (बीडी), चेन्नई, रिज़र्व बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) के लिए सेवा शाखा के रूप में कार्य करता है।

*एजेंसी बैंकों (एबी) के लिए निरीक्षण फ्रेमवर्क, प्रणालियाँ और प्रक्रियाओं की समीक्षा*

X.42 एबी के निरीक्षण के लिए ढांचे, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) और चयनित आरओ के सदस्यों से मिलकर एक

कार्यदल (डब्ल्यूजी) का गठन किया गया था। डब्ल्यूजी की रिपोर्ट विचाराधीन है।

*ई-कुबेर के साथ राज्य सरकारों की वित्तीय प्रणालियों का एकीकरण*

X.43 वर्ष के दौरान, नागालैंड राज्य सरकार, पुडुचेरी और जम्मू केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार के लिए एनईएफटी/आरटीजीएस[2] भुगतान पद्धति का उपयोग करके सीएसएस भुगतान लागू किया गया। इसके साथ, सभी 28 राज्य सरकारें और तीन केंद्र शासित प्रदेश सीएसएस में सक्रिय हो गए हैं। इससे *ई-कुबेर*, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और संबंधित राज्य सरकारों की प्रणालियों के बीच त्रिपक्षीय एकीकरण का उपयोग करके सीएसएस के तहत तत्काल भुगतान संभव हो गया है।

X.44 ई-रसीदों के उन्नत संस्करण में पांच राज्य सरकारों को एजेंसी बैंक रिपोर्टिंग के लिए और एक राज्य सरकार को प्रत्यक्ष एनईएफटी/आरटीजीएस के लिए शामिल किया गया। इसके अलावा, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राज्य सरकारों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्राप्तियों से संबंधित ऑनलाइन त्रुटि ज्ञापन (एमओई) के प्रसंस्करण के लिए शामिल किया गया। इसके साथ ही, 26 राज्य सरकारें और तीन केंद्र शासित प्रदेश ऑनलाइन एमओई की सुविधा से जुड़ चुके हैं।

*सरकारी भुगतान प्रणालियों में दक्षता बढ़ाना*

X.45 बैंक ने कई पहलों को लागू किया हैं, जिनमें डैशबोर्ड सुविधा और भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी) सिंक्रोनाइज़ेशन सुविधा की शुरुआत शामिल है। नौ राज्य सरकारों और दो केंद्र शासित प्रदेशों को डैशबोर्ड सुविधा से जोड़ा गया, जबकि 12 राज्य सरकारों को आईएफएससी सिंक्रोनाइज़ेशन सुविधा से जोड़ा गया।

*अन्य पहल*

X.46 रक्षा पेंशनभोगियों को भुगतान की गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली प्रत्यक्ष एनईएफटी/आरटीजीएस रसीद मॉडल (चालान-आधारित तंत्र के माध्यम से) का उपयोग करके इस वर्ष *ई-कुबेर* और पेंशन प्रशासन प्रणाली (रक्षा), *अर्थात*, रक्षा महालेखा नियंत्रक (सीजीडीए) की 'स्पर्श' प्रणाली के एकीकरण के साथ सक्षम की गई।

*X.47 ई-कुबेर* में अंतर-सरकारी समायोजन सूचना (आईजीएए) को ई-भुगतान के उन्नत संस्करण में अंतरित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

X.48 ख़जाना एकल खाता (टीएसए) ढांचे के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) भुगतान के लिए *ई-कुबेर* में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के माध्यम से सरकारी भुगतान का प्रावधान सक्षम किया गया है, जिसमें रिज़र्व बैंक प्रायोजक बैंक है। एनपीसीआई से जुड़े सरकारी विभाग *ई-कुबेर* के माध्यम से सीबीडीसी भुगतान संसाधित कर सकते हैं, जिसमें रिज़र्व बैंक प्रायोजक बैंक के रूप में कार्य करता है। एपीबीएस के मौजूदा मॉडल का लाभ उठाते हुए और विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में *आधार* नंबर का उपयोग करते हुए, सीबीडीसी/प्रोग्राम-योग्य सीबीडीसी टोकन के रूप में सरकारी भुगतान जारी किए जाते हैं।

### वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची

X.49 विभाग वर्ष 2026-27 के लिए निम्नलिखित कार्यसूची प्रस्तावित करता है:

- सरकारी भुगतानों और संशोधनों का ऑनलाइन रिपोर्टिंग में स्थानांतरण;

[2] राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण/वास्तविक समय सकल निपटान।

- आईजीएए को *ई-कुबेर* में ई-भुगतान के उन्नत संस्करण में स्थानांतरित करना; और
- टीएसए के माध्यम से सरकारी डीबीटी भुगतानों के प्रसंस्करण के लिए *ई-कुबेर* को सक्षम करना।

## 5. विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंधन

X.50 आरक्षित निधि प्रबंधन के व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप, बाह्य निवेश एवं परिचालन विभाग (डीईआईओ) ने विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (एफईआर) का प्रबंधन जारी रखा। 2025-26 के दौरान एफईआर में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की 3.4 प्रतिशत की वृद्धि के अनुरूप है। विभाग ने अपने नीतिगत उद्देश्यों के अनुसार, विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) के परिनियोजन के लिए नए आस्ति वर्गों और अधिकार क्षेत्रों की खोज करके आरक्षित निधियों में वैविध्यता लाने के अपने प्रयासों को जारी रखा। वैश्विक अनिश्चितता के बढ़ते माहौल में, विभाग ने आरक्षित निधि के परिनियोजन में स्थिरता, सुरक्षा और चलनिधि को प्राथमिकता दी।

### वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

X.51 विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- रिज़र्व बैंक की नेतृत्वकारी भूमिका का लाभ उठाते हुए: (i) बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से आरक्षित निधि प्रबंधन के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, और (ii) एक 'उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में उभरना, आवश्यकता पड़ने पर अन्य केंद्रीय बैंकों को प्रशिक्षण/सहयोग प्रदान करना (पैराग्राफ X.52); और
- ऋण जोखिम नीति की व्यापक समीक्षा करना और ऋण जोखिम प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना (पैराग्राफ X.53)।

***कार्यान्वयन की स्थिति***

X.52 विभाग ने आरक्षित निधि प्रबंधन प्रथाओं में हो रहे बदलावों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए विभिन्न केंद्रीय बैंकों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क किया। इन प्रयासों के तहत, विभाग ने 17 अक्टूबर 2025 को एएसईएएन क्षेत्र के केंद्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय स्वैप लाइन्स (बीएसएल) पर एक केंद्रित चर्चा का आयोजन किया। आरक्षित निधि प्रबंधन के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में अन्य केंद्रीय बैंकों के बीच रिज़र्व बैंक की अग्रणी भूमिका को जारी रखते हुए, डीईआईओ ने 5-6 मार्च, 2026 के दौरान '*समुत्थानशील आरक्षित निधि: अनिश्चितता के युग में स्थिरता को आधार बनाना*' विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष की पृष्ठभूमि में आयोजित इस कार्यक्रम ने वर्तमान अनिश्चितता से निपटने और आरक्षित निधि में समुत्थानशीलता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बैंकों के बीच बेहतर समन्वय के महत्व को रेखांकित किया।

X.53 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हुए और महत्वपूर्ण जोखिम मापदंडों पर उचित बल देते हुए, ऋण जोखिम नीति की व्यापक समीक्षा की गई है। इसके अतिरिक्त, ऋण जोखिम प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए, उपयुक्त ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित और तैनात किए गए हैं। ये डैशबोर्ड रिज़र्व बैंक के निवेशों की ऋण प्रोफ़ाइल की वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे डेटा-आधारित विश्लेषण के माध्यम से गतिशील जोखिम मूल्यांकन संभव हो पाता है।

### वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची

X.54 विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों और आर्थिक नीति की अनिश्चितता के मद्देनजर, जोखिमों को अनुकूलित करने और प्रतिफल में सुधार करने के उद्देश्य से अधिक वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलियो में विदेशी मुद्रा आस्तियों के निवेश पर अधिक ध्यान केंद्रित करना;

- डेटा प्रसार और प्रकटीकरण तंत्रों में सुधार करना; और
- बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए आरक्षित निधि प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं को उन्नत करना।

## 6. आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.55 आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) बैंक के नीति अनुसंधान के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है और नीतिगत निर्णयों के लिए विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, डीईपीआर बैंक की सांविधिक रिपोर्टें (वार्षिक रिपोर्ट और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर रिपोर्ट) प्रकाशित करता है, साथ ही, राज्य वित्त: बजट का अध्ययन और भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका पर रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त, विभाग भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सामयिक शोध पत्रों और आलेखों के प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभाग विभिन्न बाह्य अनुसंधान योजनाओं के माध्यम से देश भर में अकादमिक अनुसंधान को भी बढ़ावा देता है और बाह्य शोधकर्ताओं के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान में जुड़ा है।

X.56 मौद्रिक समुच्चय, भुगतान संतुलन (बीओपी), बाह्य ऋण, प्रभावी विनिमय दरें, संयुक्त सरकारी वित्त, घरेलू वित्तीय बचत और निधियों के प्रवाह से संबंधित सभी प्राथमिक और द्वितीयक सांख्यिकी डेटा गुणवत्ता पर उचित जोर देते हुए, निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रसारित की गई।

### वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

X.57 वर्ष 2025-26 के दौरान, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- कम से कम 100 शोधपत्र प्रकाशित करने के लक्ष्य को बनाए रखना (पैराग्राफ X.58 - X.59);
- केंद्रीय बैंकिंग के मुख्य क्षेत्रों के साथ-साथ उभरते नीतिगत मुद्दों, जैसे मुद्रास्फीति की गतिशीलता, मौद्रिक और विनियामक नीति, संपदा क्षेत्र और डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर सामयिक अध्ययन करना। इन अध्ययनों में 'बहुभिन्नरूपी मुख्य प्रवृत्ति मुद्रास्फीति: अंतर्निहित मुद्रास्फीति का आकलन', 'वेतन और मुद्रास्फीति (वेतन फिलिप्स वक्र) की गतिशीलता: पीएलएफएस[3] डेटा से अंतर्दृष्टि', 'बैंक प्रतिस्पर्धा और मौद्रिक संचरण', 'फिनटेक ऐप उपयोगकर्ता अनुभव के चालक: एक टेक्स्ट माइनिंग दृष्टिकोण', आदि विषय शामिल होंगे (पैराग्राफ X.58 - X.59); और
- 'भारत का बाह्य क्षेत्र: वैश्विक उथल-पुथल से निपटना' विषय पर आधारित मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट तथा *पंचायती राज* संस्थाओं के वित्त पर रिपोर्ट का प्रकाशन (पैराग्राफ X.60)।

### *कार्यान्वयन की स्थिति*

X.58 वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप, विभाग ने वर्ष के दौरान 102 विस्तृत शोध परियोजनाएं शुरू कीं। इनमें रिज़र्व बैंक बुलेटिन में प्रकाशित शोध आलेख और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र शामिल हैं। इस शोध में नीति निर्माण के लिए प्रासंगिक समकालीन मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया, जिसमें बहुभिन्नरूपी मुख्य प्रवृत्ति उपायों का उपयोग करके मुद्रास्फीति की गतिशीलता का विश्लेषण, पीएलएफएस डेटा पर आधारित वेतन-मुद्रास्फीति (फिलिप्स वक्र) संबंध, बैंक प्रतिस्पर्धा और मौद्रिक संचरण, टेक्स्ट-माइनिंग दृष्टिकोण का उपयोग करके फिनटेक ऐप उपयोगकर्ता अनुभव के चालक, और बाह्य क्षेत्र, संपदा क्षेत्र

[3] आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण।

के विकास और डिजिटल प्रौद्योगिकी से संबंधित व्यापक आकलन शामिल हैं।

X.59 'भारत में मैक्रो वैरिएबल्स पर मौद्रिक नीति संचरण - पहचाने गए उच्च आवृत्ति मौद्रिक नीति का उपयोग'; 'विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में स्वर्ण की मांग के वाहक: भारतीय मामले'; 'समष्टि आर्थिक डेटा सरप्राइज़ पर यील्ड कर्व कैसे प्रतिक्रिया करता है?' नामक अध्ययन शामिल हैं। 'भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के शेयर प्रदर्शन पर अमेरिकी मौद्रिक नीति घोषणाओं का प्रभाव', 'भारतीय कृषि के लिए नए क्षितिज' और 'भारत में हरित बैंकिंग प्रथाएं' शीर्षक से प्रकाशित होने वाली विभिन्न परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

X.60 'भारत का बाह्य क्षेत्र: वैश्विक उथल-पुथल से निपटना' नामक मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट और *पंचायती राज* संस्थाओं के वित्त पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

***अन्य पहलें***

*ज्ञान और अनुसंधान प्रसार*

X.61 वर्ष के दौरान, मासिक सेमिनार श्रृंखला के अंतर्गत, विभाग ने प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और विद्वानों द्वारा मौद्रिक और वित्तीय नीति के लिए पर्यावरणीय प्राथमिकताएं, संरचनात्मक परिवर्तन, मानव पूंजी, व्यापार नीति, वित्तीय स्थिरता, श्रम बाजार, असमानता और मौद्रिक नीति ढांचे सहित विभिन्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए। विभागों में व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने और बैंक के भीतर ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने के लिए कई सत्र हाइब्रिड मोड में आयोजित किए गए। इसके अलावा, आंतरिक चर्चा मंच, डीईपीआर स्टडी सर्कल ने गहन चर्चा को सुगम बनाने और अनुसंधान की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विविध विषयों पर शोध पत्रों की 14 ऑनलाइन सेमिनार/प्रस्तुतियाँ आयोजित कीं।

X.62 केंद्रीय पुस्तकालय में, ईबीएससीओ डिस्कवरी सर्विस (ईडीएस) को एक खोज मंच के रूप में विकसित किया गया है ताकि उपयोगकर्ता एक ही इंटरफ़ेस से पुस्तकालय के सभी सब्सक्राइब किए गए संसाधनों को खोज सकें। पुस्तकालय ने सभी नई पुस्तकों/पत्रिकाओं के लिए डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन भी लगाई है और कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए आरएफआईडी[4] तकनीक को लागू करने का प्रस्ताव दिया है। ये उपकरण खोज क्षमताओं को बढ़ाएंगे और उपयोगकर्ताओं के लिए परस्पर संवादात्मक शिक्षा अनुभव प्रदान करेंगे। इसने नॉटनल हिंदी ई-बुक्स और पत्रिकाओं का एक पैकेज भी सब्सक्राइब किया है जिसमें 5,900 ई-बुक्स और 150 से अधिक पत्रिकाएं शामिल हैं।

*शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों को सहायता*

X.63 रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(15बी) के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक प्रोफ़ेसरियल चेयर और कॉर्पस फंड योजना के माध्यम से बाहरी अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में, भारत भर के अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों में 20 रिज़र्व बैंक प्रोफ़ेसरियल चेयर हैं। वर्ष के दौरान, प्रोफ़ेसरियल चेयर द्वारा किए गए अनुसंधान में मुद्रास्फीति पूर्वानुमान, जलवायु वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन और व्यापारिक व्यापार सहित कई विषयों को शामिल किया गया। कई प्रोफ़ेसरियल चेयर ने विभाग द्वारा प्रदान किए गए संकाय सहयोग से छात्रों और युवा संकाय सदस्यों के लिए खुली अर्थव्यवस्था के समष्टि अर्थशास्त्र पर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया।

*घरेलू/अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क*

X.64 विभाग वर्ष के दौरान उच्च स्तरीय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परामर्शों में सक्रिय रूप से जुड़ा रहा। विभाग ने वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) 2024 के अंतर्गत

[4] रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान।

आईएमएफ टीम के साथ आईएमएफ के अनुच्छेद IV संबंधी विचार-विमर्श,चर्चा में भाग लिया और एसएंडपी, मूडीज और फिच सहित वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से पारस्परिक विचार-विमर्श किया था। विभाग ने 16वें वित्त आयोग के साथ विचार-विमर्श में विश्लेषणात्मक सुझाव दिए और नीति *आयोग* जैसे संस्थानों द्वारा आयोजित ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की राष्ट्रीय कार्यशालाओं और सम्मेलनों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त, विभाग ने पद्धतिगत योगदान के माध्यम से राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की गुणवत्ता और व्यापकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति के साथ मिलकर काम किया।

### वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची

X.65 विभाग की वर्ष 2026-27 की कार्यसूची निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति पर केंद्रित होगी।

- मासिक 'अर्थव्यवस्था की स्थिति' आलेख और नगर निगम वित्त रिपोर्ट के अतिरिक्त प्रमुख रिपोर्टों का प्रकाशन; और
- केंद्रीय बैंकिंग और उभरते समष्टि-वित्तीय मुद्दों के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करते हुए सामयिक और नीति-उन्मुख अध्ययन करना जिनमें विनिर्माण क्षेत्र की निर्यात तीव्रता और अंतर-क्षेत्रीय संबंध, वैश्विक मौद्रिक नीति प्रभाव विस्तार, आपूर्ति प्रबंधन और खाद्य मुद्रास्फीति की गतिशीलता, ऋण बाजार म्यूचुअल फंडों की आघात- सहनीयता, नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण के रुझान, भारत में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का प्रदर्शन, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण और वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) तथा भारत के बीओपी में उनकी भूमिका शामिल हैं।

## 7. सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंधन

X.66 सांख्यिकी एवं सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) ने व्यापक वित्तीय सांख्यिकी संकलन, विश्लेषण और साझाकरण के अपने मुख्य कार्यों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। विभाग ने मौद्रिक नीति की सूचना देने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की गहन समीक्षा भी की ताकि उसे अधिक समकालीन, प्रासंगिक और केंद्रित बनाया जा सके। विभाग ने अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने वाले घरेलू सर्वेक्षणों के नतीजे प्रकाशित करना भी शुरू किया।

### वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

X.67 विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- शेष कागज-आधारित/ई-मेल-आधारित रिपोर्टिंग के साथ-साथ किसी भी *तदर्थ* डेटा संग्रह को केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) में संरचित इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग में अंतरित करना [*उत्कर्ष* 2.0] (पैराग्राफ X.68);
- सीआईएमएस के आईटी अवसंरचना को रिज़र्व बैंक के एक नए डेटा केंद्र में अंतरित करना (पैराग्राफ X.69);
- सीआईएमएस के भाग के रूप में, बैंकिंग अवसंरचना (सीआईएसबीआई) प्रणाली के लिए केंद्रीय सूचना प्रणाली का आधुनिकीकरण करना (पैराग्राफ X.70);
- तत्व-आधारित रिपोर्टिंग (ईबीआर) के लिए सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा एक्सचेंज (एसडीएमएक्स) आधारित डेटा संग्रहण को चरणबद्ध तरीके से लागू करना [*उत्कर्ष* 2.0] (पैराग्राफ X.71);
- पूर्वानुमान क्षमता बढ़ाने के लिए नए डेटासेट की खोज करते हुए, उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)/ मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों का उपयोग करके पूर्वानुमान और तत्कालिक पूर्वानुमान मॉडलों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जलवायु डेटा का लाभ उठाना (पैराग्राफ X.72);

- असंरचित डेटा के पूर्व-प्रसंस्करण और मूल्यवान गहरी पहुंच प्राप्त करने कि लिए उनके उपयोग की योजना के साथ पाठ विश्लेषण के लिए वृहत भाषा मॉडलों (एलएलएम) में हुई प्रगति का लाभ उठाना । एलएलएम द्वारा अर्जित पूर्व-प्रसंस्कृत डेटा मौजूदा एआई/एमएल मॉडलों को बेहतर बनाने के लिए इनपुट के रूप में कार्य कर सकता है (पैराग्राफ X.73); और
- प्रमुख समष्टि आर्थिक समुच्चयों के संकलन में होने वाले आगामी संशोधन के अनुरूप (ए) आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) और (बी) बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक (बीकेएसपीआई) के लिए कवरेज और आधार संशोधन का विस्तार करना (पैराग्राफ X.74)।

*कार्यान्वयन की स्थिति*

X.68 सभी निर्धारित पेपर/ई-मेल आधारित विवरणियों को सीआईएमएस के अंतर्गत संरचित रिपोर्टिंग में परिवर्तित कर दिया गया।

X.69 आईटी अवसंरचना क्षमता संवर्धन सहित सीआईएमएस को नए डेटा सेंटर में स्थानांतरित करने से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

X.70 सीआईएसबीआई के आधुनिकीकरण और आगे के संवर्धन एवं कार्यक्षमता संबंधी गतिविधियाँ आरंभ कर दी गई हैं और प्रगति पर हैं।

X.71 ईबीआर के लिए सॉफ़्टवेयर अनुप्रयोग मॉड्यूल को डिज़ाइन, विकसित करते हुए उसके परीक्षण किए गए। एसडीएमएक्स मानक का उपयोग करके ईबीआर के लिए चयनित बैंकों के साथ पायलट परीक्षण करने के बाद, परीक्षण को प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) तक विस्तारित किया गया। इन बैंकों ने मानक डेटा आर्किटेक्चर तैयार किया है और सीआईएमएस में समानांतर संचालन के लिए वित्तीय समावेशन से संबंधित रिपोर्टिंग तत्व तैयार करना शुरू कर दिया है। पर्यवेक्षण, विनियमन और अन्य क्षेत्रों से संबंधित डेटा तत्वों को भी धीरे-धीरे शामिल किया जा रहा है।

X.72 जलवायु जोखिम कारकों के आर्थिक परिणामों की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए, तात्कालिक पूर्वानुमान और पूर्वानुमान के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडलों को एआई/एमएल तकनीकों और चरम जलवायु घटनाओं के डेटा का उपयोग करके उन्नत किया गया है। विशेष रूप से, सब्जियों की कीमतों पर चरम मौसम की घटनाओं के प्रभावों का विश्लेषण किया गया ताकि उन माध्यमों की पहचान की जा सके जिनके माध्यम से तीव्र जलवायु संबंधी दबाव उत्पादन को प्रभावित करते हैं और कीमतों पर असर डालते हैं।

X.73 बैंक की एकीकृत ओम्बूड्समैन योजना के अंतर्गत बड़े पैमाने पर प्राप्त शिकायत डेटा और सोशल मीडिया से प्राप्त अनौपचारिक प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने के लिए उन्नत एलएलएम (लॉन्ग-लेवल मार्केटिंग एल्गोरिदम) का उपयोग किया गया, ताकि बैंक-वार विस्तृत और व्यवस्थित रूप से प्राप्त अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सके। बुनियादी सांख्यिकीय विवरणी के अंतर्गत एकत्रित क्षेत्रीय और प्रादेशिक स्तर के सूक्ष्म डेटा से ऋण प्रवाह के रुझानों को प्राप्त करने के लिए एआई/एमएल टूलबॉक्स का भी उपयोग किया गया।

X.74 एचपीआई को पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तरीय डेटा के आधार पर त्रैमासिक आधार पर संकलित किया गया। एचपीआई के लिए आधार वर्ष को 2022-23 तक अद्यतन किया गया, साथ ही, 18 प्रमुख शहरों तक कवरेज का विस्तार और कार्यप्रणाली को परिष्कृत किया गया। समष्टि आर्थिक समुच्चय के अनुरूप, सेवा क्षेत्र मूल्य सूचकांकों के भाग के रूप में बीकेएसपीआई के आधार वर्ष संशोधन से संबंधित कार्य भी पूरा किया गया।

*अन्य पहलें*

X.75 बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, वर्ष 2025 के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में किए गए संशोधनों के कारण विभिन्न विवरणियों और प्रभावित रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए सॉफ़्टवेयर मॉड्यूल में परिवर्तन आवश्यक हो गए, क्योंकि 'पखवाड़े' की परिभाषा को 'रिपोर्टिंग शुक्रवार' से बदलकर

'कैलेंडर माह का पंद्रहवाँ और अंतिम दिन' कर दिया गया था। ये परिवर्तन अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के प्रभावी होने के बाद लागू किए गए।

X.76 सीआईएमएस विश्लेषणात्मक प्लेटफ़ॉर्म को सफलतापूर्वक क्लाउडेरा एआई में अद्यतन कर दिया गया है और आंतरिक परीक्षण जारी है। सफल परीक्षण के बाद, प्लेटफ़ॉर्म की पहुँच चरणबद्ध तरीके से रिज़र्व बैंक उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, सीआईएमएस में शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) को विकसित करने का कार्य पूरा हो गया है।

X.77 विभाग विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड के विकास और संचालन पर काम कर रहा है और विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों को सीआईएमएस प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करेगा। इससे विभिन्न कार्यात्मक विभागों के उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा का विश्लेषणात्मक और ग्राफिकल प्रस्तुतीकरण बेहतर होगा।

X.78 चरम मौसम घटनाओं के कारण होनेवाली फसल हानि आकलन के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा और एआई/एमएल उपकरणों का उपयोग करके एक सामान्य ढांचा तैयार किया गया है। इसके अलावा, गूगल सर्च वॉल्यूम डेटा को एकीकृत करके प्रमुख भारतीय राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने के लिए भू-स्थानिक रात्रिकालीन प्रकाश डेटा का उपयोग किया गया है, जिससे अल्पकालिक आर्थिक आकलनों की सटीकता में सुधार हुआ है।

### वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची

X.79 विभाग वर्ष 2026-27 के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- मौद्रिक नीति सर्वेक्षणों की समीक्षा करके कार्यप्रणाली और कवरेज में सुधार करना;
- रिज़र्व बैंक के डेटा प्रसार पोर्टल की व्यापक समीक्षा करना;
- प्रणाली की दक्षता बढ़ाते हुए सीआईएमएस को रिज़र्व बैंक के नए डेटा सेंटर में नए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्थानांतरित करना;
- सामान्य डेटा उपयोगकर्ताओं के लिए सीआईएमएस में बोलचाल की अंग्रेजी भाषा पर आधारित डेटा क्वेरी सुविधा विकसित करना;
- पर्यवेक्षी, विनियामक और डेटा के अन्य क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से ईबीआर का कार्यान्वयन;
- सांख्यिकीय डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) का कार्यान्वयन और आंतरिक उपयोग के साथ-साथ विनियमित संस्थानों के लिए डीक्यूआई डैशबोर्ड तैयार करना; और
- सेवा-क्षेत्र के लिए उच्च-आवृत्ति संकेतकों के रूप में नए डेटा स्रोतों की खोज करना।

## 8. विधिक मुद्दे

X.80 विधिक मुद्दों की जांच और रिज़र्व बैंक को परामर्श देने तथा रिज़र्व बैंक की ओर से मुकदमेबाजी के प्रबंधन में सहायता प्रदान करने के लिए विधि विभाग की स्थापना की गई है। यह विभाग निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी), उच्च स्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरेल) तथा रिज़र्व बैंक के स्वामित्व वाली अन्य संस्थानों को विधिक मुद्दों, मुकदमों और अदालती मामलों पर कानूनी सहायता और परामर्श देता है।

### वर्ष 2025-26 के लिए कार्यसूची

X.81 विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किया था:

- 'वित्तीय क्षेत्र में विधिक कार्य को बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग' विषय पर एक शोध पत्र तैयार करना (पैराग्राफ X.82)।

*कार्यान्वयन की स्थिति*

X.82 विभाग द्वारा गठित तीन अधिकारियों की एक टीम 'वित्तीय क्षेत्र में विधिक कार्य को बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग' विषय पर काम कर रही है, जिसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है।

*अन्य गतिविधियां*

X.83 बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 को 15 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई जिसका उद्देश्य *अन्य बातों के साथ-साथ* बैंकिंग क्षेत्र में अनुशासन मानकों में सुधार करना, जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना, सहकारी बैंकों में निदेशकों (अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा) का कार्यकाल बढ़ाना और एक साथ तथा क्रमिक नामांकन का प्रावधान करना है।

*अन्य पहलें*

X.84 वर्ष के दौरान, विधि विभाग के अनुसंधान कक्ष ने विधि के उभरते क्षेत्रों पर आंतरिक चर्चाओं का आयोजन किया। विभाग ने विशेष रूप से, कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा निपटाए गए महत्वपूर्ण विचारों/मामलों पर मासिक प्रस्तुतियों का भी शुभारंभ किया। विभाग ने बैंक के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के साथ-साथ बाहरी संस्थानों को भी संकाय सहायता प्रदान की।

X.85 विभाग ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयु), बेंगलुरु, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (एनएएलएसएआर), हैदराबाद और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जीएनएलयु), गांधीनगर के सहयोग से विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों, विशेष रूप से पर्यवेक्षी, विनियामक और प्रवर्तन क्षेत्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त वरिष्ठता समूह (सीएसजी) कैडर के अधिकारियों के लिए 'विनियमन मसौदा तैयार करने' पर चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

**वर्ष 2026-27 के लिए कार्यसूची**

X.86 वर्ष 2026-27 में, विभाग निम्नलिखित लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की समीक्षा करना और आवश्यक विधायी परिवर्तनों का सुझाव देना।

**9. निष्कर्ष**

X.87 बैंक ने अपनी नीतिगत कार्रवाइयों में जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए अधिकाधिक जनसमूह तक पहुँचने हेतु संचार के अनेक माध्यमों का उपयोग किया। अंतरराष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय निकायों के साथ नियमित संपर्क के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय संबंधों को मजबूत किया गया। धीरे धीरे सभी हितधारकों को शामिल करते हुए, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए वास्तविक समय के आधार पर निधियों के अंतरण हेतु एक एकीकृत ढांचा तैयार किया गया। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंधन विवेकपूर्ण तरीके से किया गया। विभिन्न सामयिक मुद्दों पर अध्ययन करके आर्थिक अनुसंधान गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया गया। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से डेटा वेयरहाउस को उन्नत करके सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत किया गया।